12122024-DTM-02_27DT02A.qxd 12/11/2024 10:47 PM Page 1

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

कुरुक्षेत्र का थीम पार्क अब होगा 'केशव पार्क'

विनोद जिंदल/हप्र
कुरुक्षेत्र, 11 दिसंबर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रुद्राक्ष का पौधा भेंट करते हुए। -हप्र

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 18 हजार स्कूली बच्चों ने गीता के 18 श्लोकों का पाठ कर इतिहास रच दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि कुरुक्षेत्र का थीम पार्क अब 'केशव पार्क' के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ इसे विश्वभर में पहचान दिलाने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने छात्रों के गीता पाठ में भाग लेने के लिए गुरुवार को विशेष अवकाश की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गीता के संदेश को न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि गीता के श्लोक एक प्रार्थना, एक गीत और शांति का आह्वान हैं। इनसे हमें जीवन को समझने और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है।

इस भव्य आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, तंजानिया की पर्यटन मंत्री पिंडी चाना, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर स्थित गीता स्थली पर पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया और हवन-यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र और भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि गीता हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह संदेश आज के प्रबंधकों और नेताओं के लिए भी प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गीता जयंती पर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। गीता न केवल भारत की बल्कि पूरी मानव जाति की धरोहर है। तंजानिया की पर्यटन मंत्री पिंडी चाना ने कहा कि कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान की अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है। यह वह भूमि है जहाँ वेदों और पुराणों की रचना हुई और जिसे महाभारत में तीनों लोकों में श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिजली, आवास और शहरी मामले केबिनेट मंत्री मनोहर लाल, स्वामी ज्ञानानंद, पूर्व मंत्री कंवरपाल, पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच सन्निहित सरोवर पर गीता महापूजन के साथ ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर दीपदान किया।

कुरुक्षेत्र में बनेगा बाईपास: नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है और इसका काम जल्द शुरू होगा। इससे कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उन्होंने बताया कि ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर अब 48 कोस यात्रा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र को मथुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए रेल सेवा शुरू होगी। श्री कृष्णा सर्किट योजना के तहत महाभारत से संबंधित 134 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

गीता का ज्ञान युवाओं के लिए महत्वपूर्ण : शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहा कि 5161 साल पहले भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने का संदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है, वह हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों को आज की युवा पीढ़ी को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए।

चालती चाक्की — सत्यवीर नाहड़िया

काया रहै निरोग जै, सुख पहला यो खास।
माया हो घर म्हैं दिखे, दुज्जा सुख अहसास।
दुज्जा सुख अहसास, फेर सुख की सुण बारी।
घराँ सुलकछण नार, पूत हो आग्याकारी।
आग्गै कोन्यी ओड़, तोड़ यो जग म्हैं छाया।
सारे सुख बेकार, निरोगी जै ना काया।।

पंकज अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

SBI स्टेट बैंक आफ इंडिया

स्ट्रेस्ड एस्सेट्स रिकवरी ब्रांच, 40 एसडीए कमर्शियल कम्पलेक्स, जोनल कार्यालय इमारत, कसुम्पटी, शिमला-171009 फोन नं. 0177-2626796, ई-मेल : sbi.18185@sbi.co.in

डिमांड नोटिस

सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नांकित कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है :
श्रीमती सुनंदा देवी पुत्री श्री उमा दत्त निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)
कानूनी वारिस कर्जदार/गारंटर : (1) श्रीमती बनिता देवी पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार तथा स्व. श्री दिनेश कुमार (गारंटर अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त की कानूनी वारिस निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, (हि.प्र.)।
(2) संदीप शर्मा पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार (अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त के कानूनी वारिस, निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर हि.प्र.।
(3) श्रीमती पूनम शर्मा पुत्री स्व. श्री दिनेश कुमार एवं स्व. श्री दिनेश कुमार (अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त की कानूनी वारिस निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।
निम्नांकित व्यक्ति बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान न करने के लिए दोषी बन गए हैं और उनके ऋणों अर्थात् **लोन एप्लिकेशन अकाउंट नं. 36937269473** को दिनांक **30.09.2023** के अनुसार नॉन-परफार्मिंग एस्सेट्स (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रि-कंस्ट्रक्शन आफ फायनांशियल एस्सेट्स एंड एनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदारों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे परन्तु वे बिना बांटे ही वापस आ गए ओर इस तरह उन्हें इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

क्रम नं.	कर्जदार का नाम	जब्त की जाने वाली सुरक्षित परिसम्पत्ति का प्रापर्टी विवरण/पता	सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया राशि (नोटिस की तिथि के अनुसार)
1.	**कर्जदार : श्रीमती सुनंदा देवी** पुत्री श्री उमा दत्त निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) **कानूनी वारिस कर्जदार/गारंटर : (1) श्रीमती बनिता देवी** पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार तथा स्व. श्री दिनेश कुमार (गारंटर अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त की कानूनी वारिस निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि.प्र., **(2) संदीप शर्मा** पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार तथा स्व. श्री दिनेश कुमार (अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त के कानूनी वारिस निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि.प्र., **(3) श्रीमती पूनम शर्मा** पुत्री स्व. श्री दिनेश कुमार तथा स्व. श्री दिनेश कुमार (अब मृतक) पुत्र श्री उमा दत्त की कानूनी वारिस निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।	जमीन माप 1/4 हिस्सा अर्थात् 1477.63 वर्ग मीटर Kh/Kh नं. 30/43, खसरा नं. 633 आउट आफ कुल भूमि माप 5910-05 वर्ग मीटर स्थित गांव व डाकघर श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि.प्र., स्वामित्व श्रीमती सुनंदा देवी पुत्री श्री उमा दत्त निवासी गांव व डाकघर तथा तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)। **टिप्पणी : सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अधीन जारी इस नई सूचना से एक्ट के तहत पहले जारी की गई सूचना को वापस लिया गया माना जाए।**	03.12.2024	30.09.2023	**Rs. 12,39,435/-** as on **03.12.2024** plus future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses. costs, charges etc.

नोटिस की वैकल्पिक सेवा हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उक्त कर्जदारों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, अन्यथा सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फायनांशियल एस्सेट्स एंड इनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
कर्जदार का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्ति को रिडीम करने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में सरफीसी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) की व्यवस्थाओं की ओर दिलाया जाता है।

दिनांक : 11.12.2024 **स्थान : शिमला (हि.प्र.)** **अधिकृत अधिकारी।**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
करनाल शाखा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ 218–219, द्वितीय तल, सेक्टर 12, भाग 1, सिटी सेंटर हुडा, करनाल – 132001

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "**जैसी है जहां है**", **जैसी है जो है**" तथा "**जो भी है वहां है**" आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	16.12.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/KAR/1216/338198, बी.ओ.: करनाल, विक्रम सिंह, बचना राम पुत्र फग्गू राम	24.07.2021 तक रु. 13,06,287	भौतिक कब्जा	गंगा नगर कॉलोनी में स्थित मकान, संपत्ति आईडी संख्या 102C661U130, खसरा संख्या 51//2/2, जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा–135003, भारत, भूमि का क्षेत्रफल 71.66 वर्ग गज, शीर्षक विलेख संख्या 9781 दिनांक 8–03–2017 विक्रम सिंह पुत्र बचना राम के पक्ष में, सीमाएं: उत्तर–स्ट्रीट, दक्षिण मोहन सिंह की संपत्ति, पूर्व–मोहन सिंह की संपत्ति, पश्चिम–पाल राम की संपत्ति।	रु. 803000	रु. 80300	27.12.2024	रु. 10,000	16.12.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	28.12.2024 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **खेम राज, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : हरियाणा, दिनांक : 12–12–2024 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी का बजा बिगुल

8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 पालिकाओं में होगी जंग

मेयर तथा परिषद व पालिका में चेयरमैन के होंगे डायरेक्ट चुनाव | प्रदेश सरकार भी तैयारी में जुटी

दिनेश भारद्वाज/ट्रिब्यू
चंडीगढ़, 11 दिसंबर

हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। आठ नगर निगम, चार नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में कराए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना बनाई है। इसके बाद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। ये चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए ये चुनाव साख बचाने और जनता का विश्वास जीतने की चुनौती बने हुए हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया था, और अब पार्टी इस लहर को निकाय चुनावों तक ले जाना चाहती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन ने मेयर और चेयरमैन पद के लिए अनुभवी और नए चेहरों की सूची तैयार करना शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) भी सक्रिय हो गया है, और विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। पार्टी का जोर उन पार्षदों को दरकिनार करने पर है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसे पार्षदों की सूची तैयार की जा रही है, और भाजपा इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने की योजना बना रही है। कांग्रेस पारंपरिक तौर पर नगर निगम के चुनाव पार्टी सिम्बल पर लड़ती है, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन करती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को पुनर्गठित कर सकती है ताकि भाजपा के शहरी प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके।

विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा उतार सकती है उम्मीदार

भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में मिली जीत का फायदा निकाय चुनावों में भी मिलेगा। भाजपा निकाय चुनावों को विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने पहले भी कई वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया था और यह फार्मूला सफल रहा। अब इसे निकाय चुनावों में लागू किया जा सकता है। भाजपा मेयर और चेयरमैन पद के लिए ऐसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार सकती है जो विधानसभा टिकट से वंचित रह गए थे। मेयर पद की बढ़ी अहमियत के कारण कई नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में मेयर का दर्जा विधायक और सांसद से भी ऊपर होता है, जिससे यह पद और आकर्षक बन गया है।

"भाजपा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी के कार्यकर्ता चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और विधानसभा की तरह निकायों के चुनावों में भी जीत हासिल करेगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और निकायों में जीत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में काम करेगी।"
-नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री

एंटी-इन्कम्बेंसी को अवसर में बदलना चाहती है सरकार

तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद, सरकार एंटी-इन्कम्बेंसी की छाया से बाहर निकलने के लिए निकाय चुनावों को सकारात्मक माहौल में करवाना चाहती है। भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में मिली जीत का फायदा निकाय चुनावों में भी मिलेगा।

चुनाव आयोग की तैयारी

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जिला उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को चुनावी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं।

17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां और संशोधन किए जा सकेंगे।

27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा, और अंतिम सूची 6 जनवरी को जारी होगी। इसके बाद चुनावों की घोषणा की जाएगी।

यहां होंगे चुनाव

निगम : गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत और यमुनानगर। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम में से 8 नगर निगमों में चुनाव होने हैं।

नगर परिषद : अम्बाला कैंट, पटौदी मंडी, थानेसर और सिरसा।

नगर पालिकाएं : बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरुखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, कालांवाली, खरखौदा और रादौर। मानेसर नगर निगम में अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं।

गुरुग्राम व फरीदाबाद में 60 दिन में मिलेगा सीएलयू, 90 दिन में मंजूर होगा बिल्डिंग प्लान

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए और एफएमडीए) की 16-16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति 90 दिनों में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिना किसी अपराध के मामलों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किए जाएंगे।

पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे, जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा।

दोनों प्राधिकरणों की पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक, वायरिंग और वितरण प्रणाली में खराबी के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। बड़ी समस्याओं, जैसे अनुपचारित जल की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, और एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी के चलते जलापूर्ति बहाली 6 दिनों में की जाएगी। यदि मुख्य जलापूर्ति लाइन में रिसाव होता है, तो जलापूर्ति बहाली 10 दिनों में की जाएगी। पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिनों में जारी किया जाएगा, जबकि बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने गोला-बारूद डिपो में नये बिजली कनेक्शन देने से किया इन्कार

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

■ अब मामले की सुनवाई 13 फरवरी 2025 को होगी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के गोला-बारूद डिपो के 300 से 900 मीटर के अधिसूचित क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन जारी करने, लोड बढ़ाने और टाइटल बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा कि डीएचबीवीएनएल की याचिका जनहित में नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेतरपाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया। डीएचबीवीएनएल ने अपनी याचिका में 18 दिसंबर, 2018 के आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया था, ताकि डिपो के 300 से 900 मीटर के क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने की अनुमति मिल सके। अदालत ने कहा कि 18 दिसंबर 2018 के आदेश में डीएचबीवीएनएल को केवल गोला-बारूद डिपो के बाहरी क्षेत्र में स्थित घरों को अस्थायी कनेक्शन देने की अनुमति दी गई थी, न कि वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान को। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह मामला गुरुग्राम के भारतीय वायु सेना के गोला-बारूद डिपो के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित है।

फतेहाबाद में नहीं गूंजेगी रेल की सीटी

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

फतेहाबाद जिले में रेल की सीटी घोषणाओं में ही सुनाई देगी। रेल मंत्रालय ने फतेहाबाद मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने के सर्वे को खारिज कर दिया है। यानि अभी फतेहाबादवासियों को रेल की सीटी सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सिरसा लोकसभा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद-अग्रोहा-हिसार को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा संसद में उठाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि हिसार और सिरसा पहले ही भारतीय रेल नेटवर्क पर भट्टू कलां के रास्ते पूरी तरह जुड़ा हुआ है। फतेहाबाद-अग्रोहा के रास्ते हिसार से सिरसा तक सर्वे कराया गया था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री नागर ने किया आश्वस्त

कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं रहेगा, सर्दियों में डिपो सुबह शाम खुलेंगे

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

प्रदेश सरकार गरीब नागरिकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार गरीबों की हितैषी है और इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है।

राज्य मंत्री नागर ने बताया कि सरकार ने डिपो धारकों के कमीशन के लिए 90 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं। यह राशि जल्द ही सभी डिपो संचालकों को वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार डिपो संचालकों की समस्याओं को समझती है और उनके कमीशन के मामले में कोई देरी नहीं की जाएगी। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी डिपो धारक के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीबों को उनके हक का राशन बिना किसी रुकावट के मिले। मंत्री ने कहा कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है।

पारदर्शी राशन वितरण पर जोर

कैमरे लगाए जाएंगे : डिपो के भीतर कैमरे लगवाने की योजना है ताकि राशन वितरण प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके।

मुनादी की व्यवस्था : राशन वितरण की सूचना गांवों और शहरों में मुनादी के माध्यम से दी जाएगी।

औचक निरीक्षण : दिसंबर से राज्य मंत्री खुद राशन डिपो का औचक निरीक्षण करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवस्था दुरुस्त है।

ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए राशन डिपो सुबह और शाम, दोनों समय खुलेंगे। इस बदलाव से लोगों को सहूलियत होगी।

कानून व्यवस्था तबाह, भाजपा सरकार बेखबर : हुड्डा

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा में अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में गुरुग्राम के एक क्लब में हुए बम धमाके, कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या, पुलिस और अपराधियों के बीच 35 दिनों में हुई 15 मुठभेड़ें और रोहतक में हुई गोलीबारी जैसी घटनाओं ने राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था की तस्वीर को और भी स्पष्ट कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले जहां रेप, हत्या, चोरी और लूट जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, वहीं अब प्रदेश में बमबारी जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। हुड्डा ने कहा कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें न तो पुलिस का डर है, न ही सरकार का। बीजेपी सरकार सत्ता के सुरूर में सो रही है और अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह फेर चुकी है। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा होती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

विश्वविद्यालयों में हो रहा भ्रष्टाचार : अभय चौटाला

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)

इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा की अधिकांश यूनिवर्सिटीज में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इनका प्रशासन कमजोर हो गया है। उनका कहना था कि सरकार ने वाइस चांसलर ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो इस पद के योग्य नहीं हैं और इनकी मुख्य योग्यता सिर्फ आरएसएस से जुड़ी है। उन्होंने हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया।

ताऊ बोल्या — संदीप जोशी

प्रदेश में ग्रामीण सोलर पावर हाउस स्थापित होंगे : विज

सोलर पावर ल्याओ चै कोई और पावर तो दिल्ली तै मिलती ए रहवैगी।